

संख्या - 10 / 15-7-2003 - 1613 / 2003

प्रेम्क,

**श्री. प्रकाश प्रसाद  
श्री. प्रकाश प्रसाद  
श्री. प्रकाश प्रसाद**

सेवा में,

**श्री. प्रकाश प्रसाद  
श्री. प्रकाश प्रसाद  
श्री. प्रकाश प्रसाद**

शिक्षा 171 अनुभाग

लक्ष्य: दिनांक: 03 मई 2003

**विषय:-** **श्री. प्रकाश प्रसाद द्वारा प्रकाशित शैक्षणिक पुस्तक की संदर्भिता के संबंध में।**

महोदय,

**अनुभव शिक्षा के और अन्य प्दान अनुभव की है जो या की न पिया  
है कि इस संबंध में संदर्भिता के संबंध में।**

संबद्धता हेतु अनोपलित प्रमाण पत्र दिये जाने में इत राज्य सरकार को निम्नलिखित  
प्रतिबंधों के अधीन आपलित नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सौतायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0मा0शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा वैदिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्वायमेन्स नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

- 828 संघ संविधान एवं विधानसभा कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान सभाओं के कार्यवाही के अनुकूल फैसला करने तथा अन्य कार्य करने के लिए आवश्यकता है।
- 868 संघ संविधान के अन्तर्गत संघीय विधानसभा के कार्यवाही के अनुकूल फैसला करने के लिए आवश्यकता है।
- 878 राज्य सरकार द्वारा संघ-सभा पर जो भी कानून निर्माण किया जायेगा संघीय कानून माना जायेगा।
- 888 विधानसभा के निर्माण निम्नलिखित प्रावधानों में तहत करेगा।
- 898 उक्त प्रावधानों में राज्य सरकार के पूर्णतः अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा।

3- प्रत्येक एक ही संघ कि विधानसभा की संघीय विधानसभा में सम्बन्धित दिनांक 20-11-91 में उक्त प्रावधानों का अन्वयण किया जायेगा।

4- उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत संघ के लिए उचित कानून और कानून निर्माण के लिए संघ द्वारा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कानून निर्माण के लिए उचित कानून करने में किसी प्रकार के पूर्ण या आंशिक बाधा नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून को अन्तर्गत में लिया जायेगा।

भारतीय,  
 : विम पुस्तक पुस्तक :  
 : विम पुस्तक पुस्तक :

पुस्तक-119/11/15-7-2003 तदनुसार

- 1- प्रत्येक एक ही संघ कि विधानसभा की संघीय विधानसभा में सम्बन्धित दिनांक 20-11-91 में उक्त प्रावधानों का अन्वयण किया जायेगा।
- 2- उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत संघ के लिए उचित कानून और कानून निर्माण के लिए संघ द्वारा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कानून निर्माण के लिए उचित कानून करने में किसी प्रकार के पूर्ण या आंशिक बाधा नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून को अन्तर्गत में लिया जायेगा।
- 3- विधानसभा के निर्माण निम्नलिखित प्रावधानों में तहत करेगा।
- 4- उक्त प्रावधानों में राज्य सरकार के पूर्णतः अनुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिष्कार नहीं किया जायेगा।
- 5- प्रत्येक एक ही संघ कि विधानसभा की संघीय विधानसभा में सम्बन्धित दिनांक 20-11-91 में उक्त प्रावधानों का अन्वयण किया जायेगा।
- 6- उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत संघ के लिए उचित कानून और कानून निर्माण के लिए संघ द्वारा उक्त प्रावधानों के अन्तर्गत कानून निर्माण के लिए उचित कानून करने में किसी प्रकार के पूर्ण या आंशिक बाधा नहीं है जो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कानून को अन्तर्गत में लिया जायेगा।

भारतीय,  
 : विम पुस्तक पुस्तक :  
 : विम पुस्तक पुस्तक :